



अंत्योदय सरल



अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना

पात्रता

1. हरियाणा का स्थायी निवासी।
2. वार्षिक आय रु0 4.00 लाख से अधिक ना हो।
3. अनुसूचित जाति/ डी एन टी/ विमुक्त जाति /टपरीवास/ घुमन्तु /अर्धघुमन्तु/ पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वर्ग।
4. यह मेरिट आधारित योजना है।

लाभ

मैट्रिक अथवा 12th अथवा स्नातक कक्षाओं में निर्धारित अंक प्रतिशतता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/ डी एन टी/ विमुक्त जाति /टपरीवास/ घुमन्तु /अर्धघुमन्तु/ पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वर्ग के छात्रों को उच्चतर कक्षाओं में दाखिला लेने उपरांत प्रोत्साहन राशि रु0 8000/- से रु0 12000/- एकमुश्त प्रदान की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़

1. पहचान/नागरिकता का सबूत (कोई एक)
 - आधार कार्ड
 - पहचान पत्र
 - पासपोर्ट
 - चालान अनुज्ञप्ति
2. आयु का सबूत (कोई एक)
 - जन्म प्रमाण-पत्र
 - मैट्रिकूलेशन प्रमाण-पत्र
3. निवास सबूत/पता सबूत/स्वामित्व सबूत (कोई एक)
 - आधार कार्ड
 - पहचान पत्र
 - पासपोर्ट
 - चालान अनुज्ञप्ति



अंत्योदय सरल



- अधिवास प्रमाण-पत्र

4. फोटोग्राफ
5. 10वीं/10+2 व अन्य कक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रति।
6. पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
7. वर्तमान स्कूल का आई0 कार्ड की प्रति/ शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिले बारे प्रमाण पत्र।

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 10/-	रु0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 45 दिन